<u>प्रकरण संख्या 10/2022 कचरा व अन्य बनाम भीखालाल व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट संख्या 1 से 3 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 125 सपठित धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित सजरे अनुसार मूल पुरूष अमरजी के एक पुत्र धुला उर्फ धुलिया हुआ तथा धुला के पुत्र नाथू, डूंगर, कचरा व पुत्री अमृत हुई। नाथू का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 3 वर्णित खाता संख्या 275/205 की कुल किता 14 रकबा 1.0995 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादी संख्या 2 वादी संख्या 1 व 3 की सगी बहन तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की भुआ है, परन्तु उसका नाम खाते में दर्ज नहीं हुआ है, जिसे दर्ज किया जाना न्याय संगत है। उक्त आराजियात शामलाती होने से पक्षकारों के मध्य विवाद होते रहते हैं तथा भूमि के विकास में परेशानी आती है। वादी संख्या 2 धुलिया की पुत्री होने से विवादित आराजीयात में उसका 1/4 हिस्सा है, वादी संख्या 1 कचरा का 1/4 हिस्सा है, वादी संख्या 3 डूंगर का 1/4 हिस्सा है, किन्तु डूंगर अत्यधिक वृद्ध होने से तथा उसके कोई संतान व पत्नी नहीं होने से वादी संख्या 1 की उसका खर्चा उठाता है, जिससे प्रसन्न होकर प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अपना 1/4 हिस्सा करना चाहता है इस कारण वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा बनता है तथा शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का है। अतः वाद वर्णित विवादित आराजीयात का उपरोक्तानुसार पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर बताया कि आराजी नंबर 2975/1165 रकबा 0.4611 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता नाथू जी को आवंटित भूमि है जिससे वादीगण का कोई संबंध नहीं है इसलिए इस आराजी का विभाजन किया जाना न्याय संगत नहीं होगा। वादीगण अपनी जमीन अन्य को बेचना चाहते हैं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:28 IST
Reason: SelfAttested

तथा प्रतिवादी संख्या 3 अपनी पत्नी व पुत्रों को उक्त जमीन से वंचित करना चाहता है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 6 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर बताया कि वाद वर्णित आराजियात में डूंगर, कचरा पिता धूला का 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा धूला के फोत होने पर धूला के बजाय नाथू, डूंगर व कचरा पिता धूला के नाम विरासत से दर्ज हुआ है। वादी संख्या 2 अमृत धूला की पुत्री का सहखातेदार में दर्ज नहीं होने से उसे सहखातेदार दर्ज किया जाना उचित होगा तथा वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का सहखातेदार दर्ज करने की बाद ही विवादित आराजियात का विभाजन किया जाना उचित होना बताया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 3 तनकियां कायम की गयी तथा अपने निर्णय दिनांक 09.03.2022 से वादीगण का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.07.2022 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट के ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण शुक्ला उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण अत्यन्त वृद्ध एवं बीमार होने के कारण कथित निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो पायी। जानकारी होते ही नकले प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:28 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर तर्क सुने गये एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत

न्यायहित में मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात पैत्रृक होने का उल्लेख वादीगण द्वारा नहीं किया जाना माना है, जबकि वादीगण द्वारा पीढ़ीनामा प्रस्तुत किया गया, जिस ओर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने डूंगर की जमीन वादी संख्या 1 के नाम अंकित करने में डूंगर की सहमति नहीं होने का उल्लेख किया है, परन्तु डूंगर स्वयं वादी संख्या 3 होकर उसके द्वारा वाद पेश किया गया है तथा वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है, जिससे उसकी स्वीकृत होना स्पष्ट है। वादीगण ने अपने सम्पूर्ण वाद को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित कराया है, किन्तु इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष दिलाया जावे।

विद्वान राजकीय पैरोकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वाद पत्र की कलम संख्या 3 वर्णित खाता संख्या 275/205 की कुल किता 14 रकबा 1.0995 भूमि में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/15, 1/15 हिस्सा दर्ज है, जबकि वादी संख्या 2 जो वाद पत्र के साथ प्रस्तुत सजरे अनुसार धूला उर्फ धुलिया की पुत्री होना स्पष्ट है, किन्तु उसका नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज नहीं है। प्रतिवादीगण ने भी अपने जवाबदावे में वादी संख्या 2 अमृत को धूला की पुत्री होने से इंकार नहीं किया है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत सजरे से इंकार किया है तथा प्रतिवादी संख्या 6 भूमिधारी ने भी अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:28 IST
Reason: SelfAttested

जवाबदावे में धूला पिता अमरा बलाई के फोत होने पर नामान्तरकरण संख्या 64 दिनांक 28.04.1971 उसके वारिसान नाथू, डूंगर व कचरा पिता धूला बलाई के नाम दर्ज होना बताया है तथा वादी संख्या 2 अमृत को धूला की पुत्री होने से उसे 1/4 हिस्से का सहखातेदार दर्ज किये जाने के बाद ही विभाजन किया जाना उचित होना बताया है।

उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि होकर धूला के समय से चली आ रही है तथा वादी संख्या 2 अमृत धूला की पुत्री होने से वह भी विवादित आराजियात में 1/4 हिस्से की सहखातेदार दर्ज कराने की अधिकारिणी है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि को पुश्तैनी नहीं होना मानते हुए वादीगण का वाद खारिज किया है, जो प्रकरण में आयी साक्ष्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 32/2020 दिनांक 09.03.2022 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.10.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:28 IST
Reason: SelfAttested